(अलवर) राज०

[illegible] अधिकारी
[illegible] (अलवर)

२५/३/२५

वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष वकीलान की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा तकसीम का दावा किया गया है जिसमें प्रार्थी 1/6 हिस्से का सह खातेदार है। वादग्रस्त आराजी शामलाती कब्जे काश्त की आराजी है। मौके पर उक्त आराजी बंटी हुई नहीं है। कब्जे-काश्त को लेकर आये दिन विवाद होने के कारण न्यायालय द्वारा मे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अह की हु
	वाद दायर करना पड़ा है। अप्रार्थीगण संयुक्त खाते काश्त की आराजी को बेचने पर आमादा है। अभी वादग्रस्त आराजी का कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात का करीब 10 वर्ष पूर्व पारिवारिक सहमति के आधार पर बंटवारा हो चुका है। सभी सहखातेदार मुताबिक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा वाद-पत्र में उल्लेखित पक्षकारों को प्रार्थना-पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है जो विधि विरुद्ध है। अप्रार्थीगण की आराजी पर स्टे होने के कारण वे किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। अप्रार्थीगण घरेलु कार्यों हेतु बैंक से के.सी.सी ऋण लेना चाहते हैं लेकिन स्टे के कारण नहीं ले पा रहे हैं। अप्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी का बेचान करने हेतु कानूनन स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी के पक्ष में जारी स्टे का भारी हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावे। उभय पक्ष वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं। किसी रेकॉर्डेड सहखातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी होने से उसके काश्तकारी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को हो रही है क्योंकि वो अपनी सहखातेदारी की भूमि पर केसीसी ऋण नहीं ले पा रहे हैं और ना ही आराजी का घरेलु व कृषि जरूरतों हेतु बेचान कर पा रहे हैं। प्रथम दृष्ट्या मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/03/2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	